DEBTS RECOVERY TRIBUNAL-I, DELHI

4th FLOOR, JEEVAN TARA BUILDING, PARLIAMENT STREET, NEW DELHI-110001

OA. No. 73/2018

IDBI Bank Limited — Applicant

VERSUS

Ajeet Kumar Singh & Ors. — Defendants

To, **1. Sh. Ajeet Kumar Singh** R/o. House No. 50, Second Floor, Maharani Bagh, Ring Road, Kirlokri, New Delhi-110014. Also at: Computer Science Corporation India A/44/45, Noida Tower-A, Sector -62, Noida-201301. Also at: Flat No D-233, 23rd Floor, The Nest-Flexi Homes, Crossing Republic, Ghaziabad, UP

2. Smt. Neelam Singh, R/o. House No. 50, Second Floor, Maharani Bagh, Ring Road, Kirlokri, New Delhi-110014.

3. M/s. Assotech Limited, Regd. Office At: 148-F, Pocket-IV, Mayur Vihar, Phase-I, Delhi-110091 **Also at:** Corporate Office At: A-354, Sector-19, Noida, UP-201301. **Also at:** Plot No. C-20/1A/1, Phase 2, Industrial Area, Sector-62, Noida, UP-201309

Whereas the above named applicant has instituted a case for recovery of **Rs. 56,39,490.36/- (Rupees Fifty Six Lacs Thirty Nine Thousand; Four Hundred Ninety and Thirty Six Paisa Only)** against you and whereas it has been shown to the satisfaction of the Tribunal that it is not possible to serve you in ordinary way. Therefore, this notice is given by advertisement directing you to make appearance before Ld. Registrar on **09.07.2021 at 10:30 A.M.** (for further details kindly visit DRT website **www.etribunal.gov.in Phone Number. 011-23748473**).

Take notice that in case of your failure to appear on the above mentioned day before this Tribunal, the case will be heard and decided in your absence.

Due to ongoing Pandemic Situation, all the matters will be taken up through Video Confererincing and for that purpose:-

(I) All the Advocates/Litigants shall download the "Cisco Webex" application/Software;

(II) "Meeting ID" and "Password" for the next date of hearing qua cases to be taken by 'Registrar/Recovery Officer-I/ and Recovery Officer-II shall be available one day prior to the next date at DRT Official Portal i.e. "d02rt.gov.in" under the Public Notice Head.

(III) In any exigency qua that, the Advocates/Litigants can contact the concerned official at Ph. No. 011-23748473.

Given under my hand and seal of the Tribunal on this 30th June of 2021

By order of this Tribunal
For Registrar

Respondent may contact under mention Phone number for further enquiry.
Mr. Amit K. Dar, Ld. Registrar, DRT-1, New Delhi.
Phone No: 011-23748473, Email : drt1delhi-dfs@nic.in

जमना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : जय स्प्रिंग्स रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, यमुना नगर – 135001, हरियाणा
कॉरपोरेट कार्यालय : 2 पार्क लेन, किशनगढ़, वसंत कुंज, नई दिल्ली – 110070
दूरभाष : + 91 11 26893331
वेबसाइट : www.jaispring.com
सीआईएन : L35911HR1965PLC004485

नोटिस

विषय : 2013 –14 वित्त वर्ष के बिना भुगतान और बिना दावे वाली लाभांश राशि (अंतिम) और कंपनी के इक्विटी शेयर का इनवेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड (आई.ई.पी.एफ) डीमैट खाते में स्थानांतरण, जिसकी देखभाल आई.ई.पी.एफ अथॉरिटी करती है।

शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि कंपनी एक्ट, 2013 के खंड 124 (5) के अंतर्गत, यदि कोई लाभांश सात साल तक बिना दावा किए शेष रहता है तो इस प्रकार के लाभांश को कंपनी द्वारा इनवेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड (आई.ई.पी.एफ) को स्थानांतरित करना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है, जो केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया है।

तद्नुसार, आई.ई.पी.एफ खाते में निम्नलिखित का स्थानांतरण किया जाना है :

आई.ई.पी.एफ में स्थानांतरण के लिए विवरण	आई.ई.पी.एफ में स्थानांतरण के लिए देय तिथि	कंपनी को अग्रसारित की जाने वाली दावे की तिथि
वित्त वर्ष 2013–14 का बिना दावे वाला लाभांश (अंतिम)	3 अक्टूबर, 2021	25 सितंबर, 2021 को या उससे पूर्व

इसके अतिरिक्त, कृपया ध्यान दें कि कंपनी एक्ट, 2013 के खंड 124 (6) के संदर्भ में, जिसे इनवेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी (अकाउंटिंग, ऑडिट, ट्रांसफर और रिफंड) रूल्स, 2016 के नियम 6 के साथ पढ़ा जाए, तो कंपनी के लिए यह अनिवार्य है कि वह सभी इक्विटी शेयर्स को आई.ई.पी.एफ डिमैट खाते में उक्त देय तिथि को स्थानांतरित कर दे, जिसके संबंध में शेयरधारकों ने निरंतर सात वर्ष तक कोई भुगतान नहीं लिया है या दावा प्रस्तुत नहीं किया है। बिना दावे वाली लाभांश राशि और शेयर एक बार आई.ई.पी.एफ खाते में स्थानांतरित किए जाने के बाद इस संबंध में कंपनी के पास कोई दावा प्रस्तुत नहीं होगा।

कृपया यह भी ध्यान दें कि इसके बाद मिलने वाले सभी कॉरपोरेट लाभ जैसे बोनस शेयर, लाभांश आदि का लाभ भी आई.ई.पी.एफ खाते में दिया जाएगा।

इस प्रकार के बिना दावे वाली या बिना भुगतान वाली लाभांश राशि का विवरण कंपनी की वेबसाइट www.jaispring.com पर उपलब्ध है। शेयरधारकों से इसकी जांच करने का निवेदन किया जाता है और बिना दावे वाली लाभांश राशि के आई.ई.पी.एफ खाते में स्थानांतरण से पहले दावे के बारे में आवश्यक कदम उठाने का निवेदन भी किया जाता है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि उक्त लाभांश के बारे में दावा निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज भेजकर पूरा करें। इसे व्यक्तिगत रूप से हमारे रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट को निम्नलिखित पते पर या ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं:

(i) यदि संयुक्त स्वामित्व हैं, तो उन सभी के हस्ताक्षर से युक्त औपचारिक पत्र
(ii) पैन कार्ड और पते के प्रमाण की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि
(iii) कैंसल चेक या बैंक स्टेटमेंट, पासबुक आदि की प्रतिलिपि

कृपया यह ध्यान दें कि यदि लाभांश का भुगतान नहीं लिया गया है या निर्धारित समय में दावा नहीं किया गया है, तो कंपनी के लिए संवैधानिक रूप से आवश्यक है कि वह शेयरों को आई.ई.पी.एफ डीमैट खाते में बिना किसी अग्रिम नोटिस के देय तिथि तक जमा करा दे।

कृपया ध्यान दें कि लाभांश और शेयर आई.ई.पी.एफ खाते में जमा कराए जाने के बाद, आप आई.ई.पी.एफ अथॉरिटी से बिना दावे वाली लाभांश राशि और शेयरों का दावा कर सकते हैं। इसके लिए, निर्धारित प्रारूप आई.ई.पी.एफ–5 पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। शेयर या लाभांश वापस लेने के दावे के लिए एम.सी.ए द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र और नियम वेबसाइट www. iepf.gov.in पर उपलब्ध हैं।

इस बारे में संबंधित शेयरधारकों को व्यक्तिगत नोटिस भी भेजे जा रहे हैं। यदि कोई प्रश्न हो तो कंपनी को या हमारे रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट को निम्नलिखित पते पर इस प्रकार लिखें कि यह 25 सितंबर 2021 को या उससे पहले पहुंच जाए।

कंपनी को	रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट को
जमना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2 पार्क लेन, किशनगढ़, वसंत कुंज, नई दिल्ली – 110 070 संपर्क + 91 11 26893331 ई–मेल : investor.relations@jaispring.com	स्काईलाइन फाइनैंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड डी–153 ए, प्रथम तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज–1 नई दिल्ली – 110020 संपर्क : + 91 11 40450193–97 ई–मेल : parveen@skylinerta.com; grievances@skylinerta.com संपर्क : श्री प्रवीण शर्मा

जमना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए
हस्ताक्षर /–
प्रवीण लखेरा
कंपनी सचिव और विधि प्रमुख

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 1 जुलाई 2021

आर्किडप्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड

ARCHIDPLY

(CIN: L85110UR1995PLC008627)
पंजी. कार्यालयः प्लॉट नं. 7, सेक्टर–9, इन्टीग्रेटेड इंडस्ट्रियल इस्टेट्स, सिडकुल, पंतनगर, ऊधम सिंह नगर, रुद्रपुर, उत्तराखंड–263153
Phone: 05944-250270, Fax: 05944-250269
कॉर्पो. कार्यालयः 2/9, 1ला तल, डब्ल्यू.एच.एस., कीर्ति नगर, नई दिल्ली–110015
Phone: 011-45642555, Website: www.archidply.com,
Email: cs@archidply.com

एजीएम, ई–वोटिंग तथा बुक क्लोजर की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि आर्किडप्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सदस्यों की छब्बीसवीं (26वीं) वार्षिक आम सभा विडियो कान्फ्रेंसिंग (''वीसी'')/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (''ओएवीएम'') द्वारा सोमवार, 26 जुलाई, 2021 को आयोजित की जायेगी जिसमें एजीएम की सूचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा। एतद्वारा यह सूचना भी दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 91 तथा कम्पनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014, समय–समय पर यथा–संशोधित के अनुपालन में उपर्युक्त एजीएम के उद्देश्य से सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अन्तरण पुस्तिकाएँ 20 जुलाई, 2021 से 26 जुलाई, 2021 (दोनों तिथियाँ शामिल) तक बन्द रहेंगी।

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 108 तथा कम्पनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014, समय–समय पर यथा–संशोधित के नियम 20 तथा सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 44 के अनुपालन में यह कम्पनी उपर्युक्त एजीएम में विचार किये जाने वाले सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान करने के लिये अपने सदस्यों को सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा प्रावधानित रिमोट ई–वोटिंग सुविधा सहर्ष उपलब्ध करा रही है। आगे, रिमोट ई–वोटिंग हेतु यह सुविधा एजीएम में भी उपलब्ध होगी। जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई–वोटिंग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान पहले ही कर लिया हो, वे वीडियों कांफ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य दृश्य–श्रव्य माध्यमों (ओएवीएम) सुविधा द्वारा एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन फिर से एजीएम में मतदान के लिये अधिकृत नहीं होंगे।

स्वच्छ तथा पारदर्शी तरीके से रिमोट ई–वोटिंग तथा एजीएम में ई–वोटिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने के लिये श्री रजनीश शर्मा, मै. रजनीश शर्मा एंड कं. के प्रॉप्राईटर, कम्पनी सचिव को संवीक्षक नियुक्त किया गया है;

सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है किः

i. कम्पनी की 26वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित सामान्य तथा विशेष व्यवसाय इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान के माध्यम से सम्पन्न होंगे।
ii. रिमोट ई–वोटिंग 23 जुलाई, 2021 को (9.00 बजे पूर्वा.) में शुरू होगी तथा 25 जुलाई, 2021 को (5.00 बजे अप.) में बंद होगी;
iii. कट–ऑफ तिथि 19 जुलाई, 2021 है
iv. यदि कोई व्यक्ति शेयर अर्जित करता है और एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद कम्पनी का सदस्य बनता है तथा कट–ऑफ तिथि अर्थात 19 जुलाई, 2021 को शेयर्स धारित करता है, वे helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर या अपने फोलियो नं./डीपी आईडी नं. का उल्लेख करते हुए 022–23058542/43 पर कॉल कर लागिन आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त करके रिमोट ई–वोटिंग कर सकते हैं। किन्तु यदि ऐसे शेयरधारक पहले से ही रिमोट ई–वोटिंग हेतु [आरटीए/डीपी] के साथ पंजीकृत हैं तो वे मतदान करने के लिए अपने वर्तमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।
v. सदस्य कृपया ध्यान दें कि :
क. 25 जुलाई, 2020 (5.00 बजे अप. भा.मा.स.) के उपरान्त रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं होगी।
ख. ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान की सुविधा कम्पनी की एजीएम में उपलब्ध कराई जायेगी और एजीएम में उपस्थित होने वाले जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से पहले मतदान नहीं किया है वे एजीएम में मतदान करने में सक्षम होंगे।
ग. रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपने मताधिकार का उपयोग करने के पश्चात भी कोई सदस्य एजीएम में भाग ले सकता है किन्तु उसे दुबारा मतदान की अनुमति नहीं होगी।
घ. केवल ऐसे व्यक्ति जिनके नाम कट–ऑफ अर्थात 19 जुलाई, 2021 को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामियों की सूची में दर्ज होंगे, वे ही रिमोट ई–वोटिंग अथवा एजीएम के दौरान ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिये अधिकृत होंगे;
vi. कम्पनी की 26वीं एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाईट (www.archidply.com) तथा सीडीएसएल की वेबसाइट (www.evotingindia.com) और बीएसई (www.bseindia.com) तथा एनएसई (www.nseindia.com) की वेबसाटि पर भी उपलब्ध होगी।
vii. एजीएम से पूर्व या उसके दौरान किसी भी प्रश्नों के लिये आप www.evotingindia.com पर सहायता खंड के अंतर्गत उपलब्ध सदस्यों के लिये frequently Asked Questions (FAQ's) तथा e-voting user manual देखें अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल करें या श्री नितिन कुण्डेर (022–23058738) अथवा श्री मेहबूब लखानी (022–23058543) या श्री राकेश डाल्वी (022–23058542) से सम्पर्क करें।
viii. ई–वोटिंग से सम्बन्धित विस्तृत निर्देशों के लिए सदस्य कृपया वार्षिक आम बैठक की नोटिस में 'नोट्स' खण्ड का सन्दर्भ लें।

आर्किडप्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिये
हस्ता/–
अतुल कृष्ण पाण्डेय
कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

स्थानः दिल्ली
तिथिः 01.07.2021

प्रपत्र सं. 3

[विनियमन–15(1)(ए)]/ 16(3)
ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी 3)
4था तल, तीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

केस नं. ओए/913/2019 — एक्जि. नं.: 2465

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1993 के नियम 5 के उप–नियम (2ए) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (4) के अंतर्गत समन्स

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाम **परवीण कुमार एवं अन्य**

सेवा में,

1. मै. आम्रपाली लीजर वैली प्रा.लि., 307, IIIरा तल, निपुण टावर, प्लॉट नं. 15, कम्युनिटी सेन्टर, कड़कड़डूमा, दिल्ली–110092,
साथ हीः कॉर्पोरेट कार्यालयः सी–56/40, सेक. 62, नोएडा, उ.प्र.

समन्स

जैसा कि 24.6.2021 को माननीय पीठासीन अधिकारी के समक्ष ओए/931/2019 सूचीबद्ध हुआ था

जैसा कि, इस माननीय अधिकरण ने रु. 2431785.00/– के ऋणों की वसूली के लिये आपके विरुद्ध दाखिल अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत उक्त आवेदन (ओए) पर सहर्ष समन/सूचना जारी किया था (दस्तावेजों आदि की प्रतियों के साथ आवेदन संलग्न है)

अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (4) के अनुसार आप प्रतिवादियों को इस प्रकार से निर्देश दिया जाता हैः

i) समन्स की सर्विस के तीस दिनों के भीतर यह कारण बतायें कि क्यूं न मांगी गई राहतों को स्वीकार की जाये।
ii) मूल आवेदन के क्रमांक 3 ए के अंतर्गत आवेदक द्वारा निर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा परिसम्पत्तियों का अतिरिक्त सम्पत्तियों या परिसम्पत्तियों का विवरण उद्घाटित करें।
iii) आपकी सम्पत्तियों के अटैचमेन्ट के लिये आवेदन की सुनवाई तथा निपटारा लम्बित रहने की स्थिति में मूल आवेदन के क्रमांक 3ए के अंतर्गत उद्घाटित प्रतिभूत पसिम्पत्तियों या अन्य परिसम्पत्तियों तथा सम्पत्तियों को व्यवसाय अथवा निपटारा करने से प्रतिबंधित किया जाता है।
vi) अधिकरण की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना आप ऐसी किसी भी परिसम्पत्तियों जिस पर प्रतिभूति हित निर्मित है एवं/अथवा मूल आवेदन के क्रमांक 3ए के अंतर्गत उद्घाटित या विनिर्दिष्ट अन्य सम्पत्तियों तथा परिसम्पत्तियों को व्यवसाय की साधारण प्रक्रिया को छोड़कर बिक्री, पट्टा या अन्य रूप से अंतरण नहीं करेंगे।
v) व्यवसाय की साधारण प्रक्रिया में प्रतिभूत परिसम्पत्तियों अथवा अन्य परिसम्पत्तियों तथा सम्पत्तियों की बिक्री द्वारा उगाही की गई बिक्री राशि का हिसाब रखने तथा ऐसी परिसम्पत्तियों पर प्रतिभूति हित धारित करने वाले बैंक अथवा वित्तीय संस्थानों में प्रबंधित खाता में उस बिक्री राशि को जमा करने के लिये आप उत्तरदायी होंगे।

आपको यह भी निर्देश दिया जाता है कि लिखित स्पष्टीकरण दाखिल करें तथा आवेदक को उसकी एक प्रति प्रस्तुत करें तथा 03.08.2021 को 10.30 बजे पूर्वा. में रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित हों अन्यथा आवेदन की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में की जायेगी।

महामारी की स्थिति जारी रहने के कारण सभी मामले विडियो कान्फ्रैंसिंग द्वारा निपटाये जाएंगे तथा इस उद्देश्य सेः
i) सभी अधिवक्ता/वादीगण सिसको webexapplication/software डाउनलोड करेंः
ii) सुनवाई की अगली तिथि अर्थात् रजिस्ट्रार/रिकवरी अधिकारी–I/तथा रिकवरी अधिकारी II द्वारा विचार की जाने वाली मामलों के लिये मीटिंग आईडी तथा पास्वर्ड डीआरटी के आधिकारिक पोर्टल अर्थात् drt.gov.in पर सार्वजनिक सूचना शीर्ष के अंतर्गत आगामी तिथि के एक दिन पूर्व उपलब्ध होगी।
iii) किसी प्रकार की आकस्मिकताओं के लिये अधिवक्ता/वादीगण फोन नं. 23748469 पर संबंधित अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।

इंडियन एक्स्प्रेस (अंग्रेजी) तथा जनसत्ता (हिन्दी) में प्रकाशित की जाए।
मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर आज, 30.6.2021 को दी गई।

अधिकारी का हस्ताक्षर
जो समन जारी करने के
लिये अधिकृत हैं।

टिप्पणीः जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

साई इंडस्ट्रीज लिमिटेड

CIN: L74999DL1991PLC045678
पंजीकृत कार्याः 302, 3रा तल, सी–2/4, कम्युनिटी सेन्टर, अशोक विहार फेज–2, नई दिल्ली–110052, भारत
ई–मेल आईडीः saiindustries1609@gmail.com,

31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के लिए अंकेक्षित स्टैंण्डएलॉन वित्तीय परिणामों का विवरण

(राशि लाखों में)

	विवरण	स्टैंडएलॉन				
		समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष	
		31.3.2021 (अंकेक्षित)	31.12.2020 (अनअंकेक्षित)	31.3.2020 (अंकेक्षित)	31.3.2021 (अंकेक्षित)	31.3.2020 (अंकेक्षित)
1.	परिचालनों से कुल आय				-	
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर, असाधारण एवं/अथवा विशिष्ट मदों से पूर्व)	-	-	-	1.41	-
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (असाधारण एवं/अथवा विशिष्ट मदों के बाद)	(28.87)	(0.07)	(4.72)	–28.52	–7.51
4.	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (असाधारण एवं/अथवा विशिष्ट मदों के बाद)	(28.87)	(0.07)	(4.72)	–28.52	–7.51
5.	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी	296.76	296.76	296.76	296.76	296.76
6.	आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर)	(376.32)	(348.11)	(347.80)	–376.32	–347.8
7.	आय प्रति शेयर (शेयर का सम मूल्य रु. 10/– प्रति का) (अनवरत तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए) क) मूल ख) तरल	(0.32)	0	–0.18	–0.96	–0.25

टिप्पणीः
उपरोक्त विवरण सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचैंज में दाखिल की गई तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट तथा कम्पनी की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेश से
साई इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए
हस्ता./–
अजय शर्मा
निदेशक

तिथिः 30.6.2021
स्थानः दिल्ली

तारिणी एण्टरप्राईजेज लिमिटेड

CIN: L51101DL2006PLC148967
पंजी. कार्यालयः 3/14 ए, 1ला तल, विजय नगर, डबल स्टोरी, दिल्ली–110009
ई–मेलः tarinienterprisespvtltd@gmail.com,
फोनः 011–32601237, मोबाईलः 9811024165

31.3.2021 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के वित्तीय परिणामों का सार

(प्रति शेयर डैटा छोड़कर राशि लाखों में)

क्रम सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष	
		31.3.2021	31.12.2020	31.3.2020	31.3.2021	31.3.2020
1.	परिचालनों से कुल आय (शुद्ध)	151.00	48.20	122.76	315.76	306.45
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर, विशिष्ट एवं/ अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	–111.10	38.80	–83.55	26.00	37.04
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	–111.10	38.80	–83.55	26.00	37.04
4.	कर से बाद अवधि के लिये शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	–111.10	28.71	–83.55	19.54	27.11
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि के लिये (कर के बाद) तथा अन्य व्यापक आय (कर के बाद) के लिये लाभ/ (हानि) से शामिल	–111.10	28.71	–83.55	19.54	27.11
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	377.30	377.30	377.30	377.30	377.30
7.	आरक्षित (पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन–पत्र के अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित)					
8.	आय प्रति शेयर (रु. 10/– प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिये)					
	1. मूल	–3.29	0.85	–2.48	0.48	0.64
	2. तरल	–3.29	0.85	–2.48	0.48	0.64

टिप्पणीः
क) उपरोक्त सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन 2015 के विनियमन 33 के अन्तर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल समाप्त तिमाही तथा वर्ष के वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण विवरण प्रारूप का सार है। तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट www.msei.in तथा कम्पनी की वेबसाईट www.tarinienterprises.in पर उपलब्ध है। ख) लेखा नीतियों में परिवर्तन के कारण शुद्ध लाभ/हानि, कुल व्यापक आय अथवा अन्य किसी संबंधित वित्तीय मदों को फुट नोट के द्वारा उद्घाटित किया जायेगा। ग) खंड रिपोर्टिंग का प्रावधान लागू नहीं है।

निदेशक मंडल के लिये तथा उसकी ओर से
तारिणी एण्टरप्राईजेज लिमिटेड के लिये
हस्ता./–
अभय चंद बरदिया
प्रबंध निदेशक
DIN:00009217

तिथिः 30.6.2021
स्थानः दिल्ली

फिनिक्स आर्क प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 5वाँ तल, दानी कॉर्पोरेट पार्क, 158, सी.एस.टी. रोड, कालिना, सांताक्रुज (ई) मुंबई –400098

सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना

आप नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं, सह–उधारकर्ताओं और गारंटरों ने कार्वी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (केएफएसएल) से अपनी अचल संपत्तियों (प्रतिभूतियां) को गिरवी रखकर ऋण (सुविधाऐं) प्राप्त की थीं। आपकी चूक के परिणामस्वरूप, आपके ऋण खाते को गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया और बाद में, केएफएसएल ने असाइनमेंट डीड दिनांक 28.09.2018 के माध्यम से फीनिक्स आर्क प्रा. लिमिटेड (फीनिक्स ट्रस्ट वित्त वर्ष 19–10 योजना के ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हुए) इसके सभी अधिकार, शीर्षक और हित, आपके द्वारा निष्पादित दस्तावेजों के अनुसार आपके द्वारा प्राप्त होने वाले लाभों के साथ–साथ अंतर्निहित प्रतिभूतियों के ब्याज के साथ उक्त ऋण का लाभ उठाने के लिए अचल संपत्तियों के पुनर्भुगतान के संबंध में फीनिक्स आर्क ने उक्त असाइनमेंट के अनुसार और बकाया राशि की वसूली के लिए, वित्तीय संपत्ति के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा ब्याज अधिनियम, 2002 (अधिनियम) के प्रवर्तन की धारा 13 (2) के तहत मांग नोटिस जारी किया है। जिनमें से सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(2) के अनुसार आपको वैकल्पिक सेवा के रूप में यहां प्रकाशित किया जा रहा है।जिनमें से सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(2) के अनुसार आपको वैकल्पिक सेवा के रूप में यहां प्रकाशित किया जा रहा है। उधारकर्ताओं, सह–उधारकर्ताओं, गारंटरों, प्रतिभूतियों, बकाया देय राशि, धारा 13(2) के तहत भेजे गए माँग सूचना और उसके तहत दावा की गई राशि का विवरण नीचे दिया गया हैः

ऋणी का नाम और पता, सह–ऋणी, ऋण खाता संख्या, ऋण राशि	अचल संपत्ति का विवरण	1. डिमांड नोटिस की तारीख 2. बकाया देय राशि
हाई किंग इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर इसके मालिक सुश्री किरण शर्मा और श्री अजय कुमार पुत्र श्री सुखपाल के माध्यम सेः 1/7216 ए, गली नंबर 1, शिवाजी पार्क, शाहदरा, दिल्ली – 110032, इसके अलावाः 11449/4 बी, 100 फूटा रोड, दुरापुरी एक्सटेंशन, शाहदरा, दिल्ली – 110093, **इसके अलावाः** 1/72164, गली नंबर 1, शिवाजी पार्क, शाहदरा, दिल्ली – 110032, **इसके अलावाः** 1/9805, गली नंबर 5, पश्चिम गोरख पार्क, उप गली आर और एल हाथ, दिल्ली – 110032, **इसके अलावाः** 1/7225, शिवाजी पार्क, शाहदरा, पहली मंजिल, मुख्य बाबरपुर रोड, नई दिल्ली – 110032, **इसके अलावाः** 1/1716, गली नंबर 1, शिवाजी पार्क, शाहदरा, दिल्ली – 110032। **ऋण खाता संख्याः** PR00416027 **स्वीकृत ऋण राशिः** रु. 1,63,20,000/– (रुपये एक करोड़ तिरसठ लाख बीस हजार मात्र)	संपत्ति के सभी भाग व अंश, साइट के अनुसार निर्माण किया हुआ, 91.97 वर्ग मीटर यानी 110 वर्ग गज भूमि के भूखंड पर निर्मित अंतिम मंजिल तक निर्माण के सभी अधिकारों के साथ–साथ संपत्ति संख्या 1449/4 बी के साथ निर्मित खसरा नंबर 842/544 और 840/774/501 में से मुख्य 100 फुटा रोड, दुर्गापुरी एक्सटेंशन, इलाका शाहदरा, दिल्ली –110093 की आबादी में ग्राम सिकदरपुर के क्षेत्र में स्थित है और निम्नानुसार हैः पूर्व – अन्य की संपत्ति, पश्चिम – दूसरों की संपत्ति, उत्तर – सड़क 100 फीट और दक्षिण – गली 10 फीट चौड़ा। **गिरवीकर्ता का नामः**– श्री अजय कुमार पुत्र श्री सुख पाल।	1. 14.06.2021 2. रु. 2,69,86,025/– (रुपये दो करोड़ उनहत्तर लाख छियासी हजार पच्चीस मात्र) दिनांक 14.06.2021 तक देय, दिनांक 15.06.2021 से लागू ब्याज के साथ लागत और शुल्क के साथ जबतक कि पूर्ण भुगतान न हो।

अतः आप उधारकर्ता/ओं और सह–उधारकर्ताओं से इस नोटिस के 60 दिनों के भीतर उपरोक्त उल्लिखित मांग राशि का और अग्रिम ब्याज के साथ भुगतान करने के लिए कहा जाता है, इसमें विफल होने पर अधोहस्ताक्षरी इसके अधिनियम के तहत उपर्युक्त प्रतिभूतियों के उपर कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा। आपका ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके आधार पर आप पूर्वोक्त प्रावधान में निर्धारित अवधि के भीतर सुरक्षित संपत्ति को छुड़वाने के लिए स्वतंत्र हैं। कृपया ध्यान दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आपको हमारी सहमति के बिना बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उपरोक्त संदर्भित प्रतिभूतियों को स्थानांतरित करने से रोक दिया गया है।

स्थानः दिल्ली, दिनांकः 02.07.2021 — प्राधिकृत अधिकारीः फिनीक्स आर्क प्राईवेट लिमिटेड

SAIJA FINANCE PRIVATE LIMITED

Regd Office : F-128, 3rd Floor, Mohammadpur, R.K. Puram, New Delhi - 110066
CIN : U65929DL1997PTC089892

Statement of Audited Financial Results for the year ended as at 31 March 2021

(Amount in Rs. Lacs)

Particulars	Six months ended 31 March, 2021	Six months ended 31 March, 2020	For the year ended 31 March, 2021	For the year ended 31 March, 2020
	Audited	Audited	Audited	Audited
Total Income from operations #	2,462.68	4,345.80	5,882.29	9,446.30
Net profit / (loss) for the period (before tax, exceptional and /or extraordinary items)	(3,329.40)	(17.43)	(3,243.56)	411.33
Net profit / (loss) for the period before tax (after exceptional and /or extraordinary items)	(3,329.40)	(17.43)	(3,243.56)	411.33
Net profit/ (loss) for the period after tax (after exceptional and /or extraordinary items)	(3,309.88)	(16.90)	(3,250.53)	230.13
Total comprehensive income for the period [comprising profit / (loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	(3,351.25)	17.87	(3,273.36)	268.11
Paid up equity share capital	5,546.45	5,546.45	5,546.45	5,546.45
Reserves (excluding revaluation reserves)	(2,183.18)	1,090.16	(2,183.18)	1,090.16
Net worth	3,363.27	6,636.61	3,363.27	6,636.61
Paid up debt capital / outstanding debt	17,142.47	24,897.95	17,142.47	24,897.95
Outstanding redeemable preference shares	-	-	-	-
Debt equity ratio	5.10	3.75	5.10	3.75
Earning Per share (of Rs 10 /- each) (for continuing and discontinued operations)				
a) Basic *	(6.04)	0.03	(5.86)	0.41
b) Diluted *	(6.04)	0.03	(5.86)	0.41
Capital redemption reserve	-	-	-	-
Debenture redemption reserve	-	-	-	-
Debt service coverage ratio (refer to note d below)	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Interest service coverage ratio (refer to note d below)	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Excludes other income
* Not annualised

Notes:

a) In accordance with Regulation 52 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has published financial results for the half year / year ended 31 March 2021. The above audited financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 30 June 2021.
b) The above is an extract of the detailed format of the half yearly / annual results filed with the Bombay Stock Exchange ('BSE') under Regulation 52 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full financial results are available on the website of Bombay Stock Exchange (www.bseindia.com) and is also available on the Company's website www.saija.in.
c) For the items referred to in the sub-clauses (a), (b), (d) and (e) of the Regulation 52 (4) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been separately made to the Bombay Stock Exchange and can be accessed on www.bseindia.com.
d) The above have not been disclosed since it is not required as per Regulation 52(4) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
e) Previous period/year figures have been regrouped / reclassified to conform to the current period classifications, wherever necessary.

For and on behalf of the Board of Directors of
Saija Finance Private Limited
Shashi Ranjan Sinha
Chairman cum Managing Director
DIN No : 00917884

Place : New Delhi
Date : 30 June 2021

धनवंतरी जीवन रेखा लिमिटेड

1, साकेत, मेरठ–250 003
फोनः 0121-2648151, 2648152
ई–मेलः dhanvantrihospital@gmail.com
वेबसाईटः www.djrl.org.in

मार्च 2021 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के लिए अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सार

रुपए लाख में (प्रति शेयर अंक को छोड़कर)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 को समाप्त तिमाही	31.12.2020 को समाप्त तिमाही	31.03.2020 को समाप्त पिछले वर्ष की इस अवधि की तिमाही	31.03.2021 को समाप्त वर्ष की अवधि	31.03.2020 को समाप्त वर्ष की अवधि
		अंकेक्षित	पुनरीक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित
1.	संचालन से कुल आय	440	233	465	978	1,821
2.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (अपवाद मद व कर से पूर्व)	(4)	(23)	(15)	(163)	(31)
3.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) तथा कर पूर्व (अपवाद मद के पश्चात)	(4)	(23)	(15)	(163)	(31)
4.	अवधि हेतु कर उपरांत शुद्ध लाभ/(हानि) (अपवाद स्वरूप और/ या असाधारण वस्तुओं के उपरांत)	17	(23)	(15)	(142)	(26)
5.	अवधि हेतु संपूर्ण सम्यक आय [अवधि हेतु (करउपरांत) लाभ/ (हानि) और अन्य सकल आय (करउपरांत) शामिल]	17	(23)	(15)	(142)	(26)
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	410	410	410	410	410
7.	पिछले वर्ष की अंकेक्षित बैलेंस शीट के अनुसार रिजर्वस (पुनर्मूल्यांकन रिजर्व शामिल नहीं)				488	630
8.	आय प्रति शेयर (मूल्य प्रति 10 रु0) (निरंतर व अनियमित संचालन हेतु)					
	(अ) मूलभूत	0.41	0.57	(0.37)	(3.47)	(0.64)
	(ब) द्रव्य	0.41	0.57	(0.37)	(3.47)	(0.64)

टिप्पणियाँ–

1. मार्च 2021 को समाप्त तिमाही व वर्ष की अवधि के लिए सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) नियमन 2015 के नियम 33 के अधीन स्टाक एक्सचेंज में दर्ज तिमाही व वर्ष अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का उपरोक्त विवरण सार है। 31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही व वर्ष की अवधि के वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टाक एक्सचेंज की वेबसाईट (www.bseindia.com) और कंपनी की वेबसाईट (www.djrl.org.in) पर उपलब्ध है।
2. उपरोक्त परिणाम निदेशकों की अंकेक्षण समिति द्वारा स्वीकृत किए गए थे। कंपनी के वैधानिक अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षित और निदेशक मंडल द्वारा 30.06.2021 की बैठक में रिकार्ड पर लिए गए थे।

वास्ते एवं ओर से निदेशक मंडल
धनवंतरी जीवन रेखा लि0
ह0
(पी.एस. कश्यप)
डिनः 01664811
अध्यक्ष

स्थानः मेरठ
तिथिः 30.06.2021

'केरल सरकार के पास कोविड मौतों पर छिपाने के लिए कुछ भी नहीं'

तिरुवनंतपुरम, 1 जुलाई (भाषा)।

केरल में विपक्षी कांग्रेस के आरोप के बाद प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा है कि कोविड से होने वाली मौतों के मामलों में राज्य सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। विपक्षी कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि महामारी संबंधी जटिलताओं के कारण होने वाली मौत को इसके आंकड़े में शामिल नहीं किया जा रहा है।

जॉर्ज ने बताया कि संक्रमण के कारण होने वाली मौत की रिपोर्ट के लिए एक नई पारदर्शी व विकेंद्रीकृत ऑनलाइन प्रणाली कार्य कर रही है। इससे एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी को छह हफ्तों में दिशा निर्देश जारी करने का आदेश दिया था, जिसके तहत उन लोगों के परिवारों को अनुदान मुआवजा दिया जा सके जिनकी कोविड के कारण मौत हो चुकी है।

मंत्री ने कहा कि महामारी से होने वाली मौत की रिपोर्टिंग के लिए एक नई पारदर्शी ऑनलाइन प्रणाली है। जब एक कोविड मरीज की मौत होती है तो संबंधित चिकित्सक अथवा अस्पताल अधीक्षक को 24 घंटे के अंदर इसकी सूचना देनी होती है। उन्होंने बताया कि तब इस प्रणाली में इसकी सूचना अद्यतन की जाती है।

मंत्री ने कहा कि केरल एक ऐसा प्रदेश है, जहां 100 फीसद जन्म व मृत्यु की रिपोर्ट की जाती है और ऐसा नहीं है कि राज्य इस बात को तय करता है कि किस मौत को कोविड के कारण हुई मौतों की श्रेणी में रखा जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी मौत कोविड के कारण हुई है अथवा नहीं, इस बारे में आईसीएमआर व डब्लूएचओ के दिशा निर्देशों के अनुसार संबंधित चिकित्सक ही निर्णय कर सकते हैं।

मंत्री ने कहा कि सरकार की ओर से इसमें कोई त्रुटि नहीं है और अगर कोई ऐसा इक्का–दुक्का मामला है तो उसकी जांच की जाएगी। विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीसन ने कहा था कि कोविड संबंधी जटिलताओं के कारण हुई सभी मौतों को महामारी से हुई मौत की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए।

सौ डॉक्टरों को नेतृत्व के गुर सिखाएगा आइआइएम

इंदौर, 1 जुलाई (भाषा)।

कोविड–19 के खिलाफ अग्रिम पंक्ति के संघर्ष में चिकित्सक समुदाय के योगदान के प्रति आभार जताते हुए इंदौर के भारतीय प्रबंध संस्थान (आइआइएम) ने गुरुवार को घोषणा की कि वह विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 100 डॉक्टरों को नेतृत्व के गुर बिना कोई शुल्क लिए सिखाएगा।

आइआइएम इंदौर के निदेशक प्रोफेसर हिमांशु राय ने राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर कहा, हम इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिए उन डॉक्टरों के प्रति आभार जताना चाहते हैं जिन्होंने आगे बढ़ कर महामारी की चुनौती का सामना किया और देश को कठिन समय से निकालने में मदद की। उन्होंने कहा कि नेतृत्व विकास के विशेष कार्यक्रम कृतज्ञ के तहत अग्रिम पंक्ति के 100 चयनित डॉक्टरों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

राय ने बताया कि लघु अवधि के प्रमाणपत्र कार्यक्रम के तहत प्रतिभागी डॉक्टरों को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अलग–अलग सत्रों में कुल 70 घंटों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें नेतृत्व, वित्तीय प्रबंधन, संवाद, संचार कौशल और नए जमाने की तकनीक समेत डॉक्टरों की रुचि के समकालीन विषय शामिल होंगे।

उन्होंने बताया, आमतौर पर नेतृत्व विकास कार्यक्रम के लिए आइआइएम इंदौर हर प्रतिभागी से 1.5 लाख रुपये का शुल्क लेता है। लेकिन चयनित 100 डॉक्टरों से इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। राय ने बताया कि इस तरह डॉक्टरों के नेतृत्व विकास कार्यक्रम के लिए आइआइएम इंदौर कुल 1.5 करोड़ रुपए का शुल्क नहीं लेगा और यह खर्च संस्थान खुद वहन करेगा।

उन्होंने दावा किया कि यह देश के सभी शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में संस्थागत सामाजिक जिम्मेदारी (आइएसआर) के तहत अब तक का सबसे अधिक राशि वाला अनुमानित अंशदान है।

www.readwhere.com